न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 21 / 2020(राजसमन्दआर्डर)

1. श्रीमती मगनी पत्नी स्वर्गीय अमरा भील, निवासीभील बस्ती प्रतापपुरा (वेणा का खेड़ा), तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. बाबुलाल पिता स्वर्गीय अमरा भील, निवासी भील बस्ती प्रतापपुरा (वेणा का खेड़ा), तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

श्रीमती गिरजा देवी पत्नी मदनलाल शर्मा,जाति गुर्जर गौड़ ब्राहमण, निवासी ए–28, नई आबादी, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारीराजसमन्ददिनांक13.11.2020प्रकरण संख्या116 / 2019

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्रीअक्षय पालीवालअभिभाषकअपीलान्टगण
2. श्री रामलाल जाटअभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णयदिनांक 14–11–2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियमका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के हक, आधिपत्य एवं खातेदारी कीग्राम प्रतापपुरा में आराजी नंबर 506 / 287 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित है। प्रार्थीया ने पूर्व में रास्ते हेतु तहसीलदार राजसमन्द के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें दिनांक 10.05.2018 को यह आदेश पारित किया कि ''प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की खातेदारी की भूमि से रास्ता चाहती है, इसके लिए वह सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करे। अतः प्रार्थीया को उसकी खाते की आराजी नंबर 506 / 287 में आने–जाने एवं हल–बैल इत्यादि लाने ले जाने हेतु 20 फिट का रास्ता आराजी नंबर 509 / 287 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा से दिलाया जावे। प्रार्थीया नियमानुसार राशि जमा कराने को तैयार है।

विपक्षीगण ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, जिसका वह वर्षो से उपयोग कर रही है। प्रार्थीया अपनी सुविधा के लिए विपक्षीगण के खातेदारी की भूमि से नया रास्ता चाहता है, जो संभव नहीं है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 13–11–2020 से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया,जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट / विपक्षीगण द्वारा दिनांक 14–11–2020 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:01:25 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से वकील श्री रामलाल जाट उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी की जांच रिपोर्ट के आधार परअपीलान्ट के स्वामित्व की आराजी नंबर 509/287 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा से 20 फिट रास्ता देने का जो आदेश दिया है वह विधि एवं तथ्यों के विपरीत है, क्योंकि पटवारी हल्का ने जो नजरी नक्शा बनाया है वह राजस्व नक्शे से मेल नहीं खाता है। अपीलान्टगण की भूमि बैंक में रहन होने से उसे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है तथा कानूनन बैंक में रहन भूमि में रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। नवीन रास्ता कायम किये जाने से खातेदारों के हक अधिकार प्रभावित होते हैं, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें **आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 40 व आर.आर.टी. 2016–17 (Supp.)पेज 677** प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार कुंवारिया द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 29–10–2020जो उभयपक्षों की उपस्थिति में तैयार की गयी है, उसके अनुसार प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम होने एवं रास्ते की वास्तविक रूप से आवश्यकता होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया/रेस्पोन्डेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें अपीलान्ट/विपक्षीगण की आराजी नंबर 509/287 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा में 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमिरास्ते के रूप में संलग्न नक्शे अनुसार दिये जाने का निर्णय पारित किया है, जोविधि सम्मत होने से हमउसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होते हैं।

अतःअपील अपीलान्टसारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13–11–2020यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 14–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:01:25 IST
Reason: SelfAttested